

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

12/26

पत्रावली पत्र हुइ अविभाषक समय पत्र उपस्थित है। आज श्राम
उपबन्ध अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तारीफ रखते हैं।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अविभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अत
राजकी साहिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/3/26 को पेश हो
ए

4/3/26

पत्रावली पत्र हुइ अविभाषक समय पत्र उपस्थित है। आज श्राम
उपबन्ध अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तारीफ रखते हैं।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अविभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अत
राजकी साहिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो
ए

8/3/26

पत्रावली पेश हुई। अजयी बावपुट सूचना अमु.। ए-
पत्रीय कार्यवाही अभिल में लाम्बी जाती है। बहन एक
पत्रीय सूनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
17/3/26 को पेश हो ए
ए

17/3/26

पत्रावली वास्ते आदेश हुई। पेशकाट संवकाट उपर।
अ. पत्र अनी अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निवेदन
प्रत्येक से भिजा जाकर डा. मि. किया गया। निवेदन
की एक प्रति तहसीलशाह तालेडा को प्राधनान भेजी
जाये। पत्रावली फैसल सुमाट शेकर नम्बर से एक
है। 3 तामील लकमील निप्रमानुसार शारिक इफाट
हो।
ए

रीख फैसला
7.03.2026

प्राथी

अप्राथी

नियम

7 की

पत्नी

दर्ज

वार

री

री

7

न्यायालय उपसमूह अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीवसीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं०
316/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा
03.02.2025

तारीख फैसला
17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

मिनाक्षी पत्नी अमित जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांदडी तालेडा

बनाम

प्रार्थी

उपरिष्ठित अधिवक्ता
अभिभाषक प्रार्थी - पेंरोकार सरकार
अभिभाषक अप्रार्थी-

अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1042/119 रकबा 0.0324 हैक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि खातेदार मिनाक्षी पत्नी अमित जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तालेडा अप्रार्थी द्वारा ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1042/119 रकबा 0.0324 हैक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (डुकाने) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1042/119 रकबा 0.0324 हैक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि सिवायक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेंरोकार सरकार एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस पेंरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1042/119 रकबा 0.0324 हैक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि सिवायक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

vy

बहस उभयपक्ष सूनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अप्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी खासरा संख्या 1042/119 रकबा 0.0324 हैक्टे0 किरम नहरी 1 ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया गया उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा उक्त कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(मनसुवी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा